कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष (भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल)
जिला– भोपाल

क्रमांक 56/ऐड./भोज/2020 भोपाल, दिनांक : 26/02/2020

(समूह- 1)
हॉट एयर बेलून की शर्ते प्रपत्र (अ)

धरोहर राशी 50,000/- (वापसी योग्य)

आवेदन/फार्म का मूल्य 5000/- रू.

1 आयोजन दिनांक **21 मार्च से 19 अप्रेल 2020** तक होगा ।

2 **21 मार्च से 19 अप्रेल 2020** के मध्य निरन्तर दो हॉट एयर बैलून दिनांक 2 प्रशिक्षित पायलेट के साथ उपलब्ध कराना होगा जिसमें एक स्पेशल शेप का रखना अनिवार्य होगा ।

3 **3 दिवसीय बैलून फेस्टिवल कि दरे प्रथक से <u>प्रपत्र ब</u> में प्रस्तुत करे, ये आयोजन एच्छिक होगा अगर कराया जाता है तो ये दरे प्रभावी होंगी अथवा शून्य समझी जावे ।** (प्रस्तावित दिनांक 30, 31 अक्टूबर से 01 नवंबर 2020)

4 पायलट के पास पायलट लायसेंस और बैलून के लिये आवश्यक लायसेंस (DGCA approved) एवं सस्था के पांस व्यवसायिक उड़ान हेतु आवश्यक NSOP/AOP अनिवार्य होगा, बिड में सभी आवश्यक लायसेंस अनुमति की प्रति लगानी होगी । (Total free flying hrs)

5 टी– थर्ड फ्लाइट हेतु NSOP आवश्यक नहीं होगी स्थानीय एयरपोर्ट अथोरिटी से टी–थर्ड फ्लाइंग करने की अनुमति ऑपरेटर को स्वयं प्राप्त करनी होगी परंतु पायलेट का प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा।

6 आवश्यकता अनुसार बीटीपीसी एक से अधिक हॉट एयर बैलून का उपयोग करने के लिये स्वतंत्र होगी एवं ऐजेसी को आपात स्थिति के लिये न्यूनतम 02 हॉट एयर बैलून रखने होंगे जिसमे एक बैलून की क्षमता 8 से 12 पैसेंजर की होना चाहिये। अधिक क्षमता वाला बैलून आवश्यकता अनुसार उपयोग में लिया जा सकेगा ।

7 आपरेटर फ्लाइंग के दौरान प्रत्येक पैसेंजर से इन्डेमिनेंटी बॉड एवं सुरक्षा जिम्मेदारी प्रपत्र (Form) भरवाना अनिवार्य होगा किसी भी दुर्घटना के लिये बीटीपीसी उत्तरदायी नही होगी ।

8 ए.टी.सी. एवं डी.जी सी. ऐ से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना एजेंसी की जिम्मेदारी होगी जिसकी प्रतिलिपि जमा करनी होगी (एयर वर्दीनेस प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि भी साथ में रखना अनिवार्य है मांगे जाने पर निरीक्षणकर्ता दल को दिखाने होंगे)।

9 21 मार्च से 19 अप्रेल 2020, के मध्य अगर फ्री फ्लाइंग होती है तो उसकी अवधी न्यूनतम 45 मिनिट (टेक ऑफ टू लैंडिग) होगी उसी प्रकार भुगतान होगा। फ्लाइट कि अवधि कम होने पर उसी रेशो में भुगतान होगा। उड़ान पे जाने वाले यात्री का प्रमाणीकरण बिल के साथ आवश्यक होगा।

10 ऐजेन्सी को न्यूनतम 10 टी–थर्ड फ्लाइट के सेशन कराना अनिवार्य होगा जिसकी अवधि न्यूनतम 1 घंटा होगी इन सेशन में ऐसा नही होने पर रु. 5000/– प्रति टी–थर्ड फ्लाइट पैनल्टी ऐजेसी पर आरोपित की जा सकेगी

11 फ्री फ्लाइट की तैयारी करने के उपरांत मौसम खराब होने की दशा में फ्री फ्लाइट नही होने पर पैनल्टी नही लगाई जावेगी परंतु वो फ्लाइट मौसम ठीक होने अथवा अगले दिन कराना अनिवार्य होगा । किसी भी तकनीकी खराबी की संपूर्ण जबावदारी ऐजेन्सी की होगी ऐसी दशा में उस फ्लाइट का भुगतान नही हो सकेगा ।

12 आयोजन की अवधी में सप्ताहिक भुगतान उस दौरान की जाने वाली फ्लाइट की गणना कर अथवा आशिंक भुगतान ऐजेसी के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित बिल के विरुध किया जा सकेगा ।

13 दल के पास उनका आई डी होना अनिवार्य होगा एवं बायो डाटा के साथ 02 पासपोर्ट साईज फोटो बीटीपीसी पे जमा कर परिचय पत्र बनवाना ऐजेन्सी को अनिवार्य होगा ।

14 किसी परिस्थिति में दल का कोई सदस्य नशे की हालत में गतिधियो मे शामिल नही होगा ऐसा पाये जाने पर ऐजेसी का कार्यादेश रद्द किया जायेगा ।

15 फ्री फ्लाइट के पश्चात बैलून को वापस लाने एवं अन्य जगह ले जाने हेतु एक पिकअप वाहन ऑपरेटर को स्वयं रखना होगा। आवश्यक ईधन एव दल के रहने खाने का प्रबध ऑपरेटर को स्वयं करना होगा ।

16 दल के प्रत्येक सदस्यो को एक ड्रेस कोड में रहना अनिवार्य होगा ।

17 फाईनेंशियल ऑफर में द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली ऐजेसी द्वारा न्यूनतम दर पर स्वीकृती देने का दशा में बीटीपीसी द्वारा उस ऐजेंसी का प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकेगा ।

18 पायलट व बैलून के साथ संपूर्ण दल के भोपाल आने जाने एवं लोकल ट्रांसपोर्ट की सम्पूर्ण व्यय की व्यवस्था संबंधित एजेंसी को करना होगी।आयोजन के लिये स्थल बीटीपीसी द्वारा ऐजेसी को निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा ।

19 अतिरिक्त हॉट एयर बेलून आवश्यक होने पर संस्था को 3 दिन के नोटिस पर उपलब्ध कराना होगा जिसका अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

20 विवाद की स्थिति में अध्यक्ष बीटीपीसी का निर्णय मान्य होना तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के लिये जिला भोपाल मान्य होगा।

21 न्यूनतम अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं के सहमत होने पर उनके प्रस्ताव विचार करने एवं कार्यादेश देने हेतु बीटीपीसी का निर्णय मान्य होगा । बी टी पी सी द्वारा आयोजक को 3.00 लाख रु. के बिजनेस की गारंटी दी जावेगी ।

22 निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने एवं दरो को नेगोशियेट करने का संम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष बीटीपीसी भोपाल को होगा । अतिम निर्णय अध्यक्ष बीटीपीसी भोपाल का होगा ।

23 ऑपरेटरर्स को 2 दिन पूर्व (19/03/2020) अपने सभी उपकरण स्थापित कर उनका डिमॉस्ट्रेशन एवं परीक्षण बीटीपीसी के अधिकारियो के समक्ष कराना होगा ।

24 फेस्टीवल के दौरान आपस में कम्यूनिकेशन हेतु वाकी टॉकी रखना होगी जो चालक और चेजिग क्रू के बीच संवाद स्थापित करेगा ।

25 किसी भी दुर्घटना की स्थिति में न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की प्रस्तावित राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।

26 बीटीपीसी को यह अधिकार होगा कि वे फेस्ट की तिथि तथा अवधी कम अथवा ज्यादा अथवा रद्द कर सके ।

27 **निर्धारित प्रारूप में वित्तीय एवं तकनीकी/ प्रशासकीय प्रस्ताव मय धरोहर राशि के दिनांक** 06/03/2020 **तक शाम 5 बजे तक कार्यालय सी.ई.ओ. जिला पंचायत भोपाल स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा स्वयं के द्वारा भेजे 5 बजे के बाद प्राप्त निविदा कलेक्टर भोपाल तथा अध्यक्ष बीटीपीसी की अनुमति से स्वीकार की जावेगी पोस्ट में बिलम्ब के लिए बिड कर्ता स्वयं जिम्मेदार होगे**

28 **निविदा दिनांक 07.03.2020 को दोपहर 12:00 बजे कार्यालय जिला पंचायत भोपाल में निविदा का अथवा उनके प्रतिनिधी के समक्ष खोली जावेगी।**

29 **किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय जिला पंचायत भोपाल अथवा मोबाइल न. 7225927773 पर कार्यालयीन समय में (10:30 से 5:00) संपर्क कर सकते है।**

उपरोक्त 1 से लागयत 29 **तक सभी शर्ते स्वीकार है।**

हस्ताक्षर एवं सील
आवेदक संस्था/प्राधिकारी

हॉट एयर बैलून की फ्री एवं टी-थर्ड फ्लाइंग का वित्तीय प्रस्ताव

स.क्र.	**विवरण**	**दर प्रति फ्लाइंग समस्त करो सहित**	**रिमार्क**
1	21 मार्च से 19 अप्रैल 2020 के मध्य न्यूनतम फ्री फ्लाइंग कि दरे (समय 45 मि.)		(न्यूनतम 45 मिनिट)
2	21 मार्च से 19 अप्रैल 2020 के मध्य न्यूनतम फ्री फ्लाइंग के पश्चात् दरे (समय 45 मि.)		(न्यूनतम 45 मिनिट)
3	21 मार्च से 19 अप्रैल 2020 के मध्य न्यूनतम टी-थर्ड फ्लाइंग कि दरे (प्रति 01 घंटा)		प्रतिघंटा दरे
4	21 मार्च से 19 अप्रैल 2020 ds e/; न्यूनतम टी-थर्ड फ्लाइंग के पश्चात् (प्रति 01 घंटा)		प्रतिघंटा दरे

हस्ताक्षर एवं सील
आवेदक संस्था/प्राधिकारी

(ब) बैलून फेस्टीवल हेतु अतिरिक्त शर्ते (30, 31 अक्टूबर एवं 01 नवम्बर 2020)

1. ऑपरेटर को तीन दिवसीय बैलून फेस्टीवल कराना अनिवार्य होगा जिसकी दरे प्रथक से दी जावे ।
2. बैलून फेस्टीवल के लिये कम से कम 10-12 बैलून प्रशिक्षित पायलेट के साथ लाने होंगे जिसमें 05 दल भांरत के बाहर के देशो के होना चाहिये जिसमे कम से कम 04 स्पेशल शेप का लाना होगा।
3. आयोजन तीन दिवसीय होगा । आयोजन से 3 दिन पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा ।
4. बैलून फेस्टीवल में आने वाले पायलेटो के दल **एवं दल** के सदस्यो के रहने, खाने व लोकल ट्रांसपोर्ट एवं दल को भोपाल लाने एवं भोपाल से जाने का प्रबंध ,आवश्यक ईधन ऑपरेटर को स्वयं वहन करना होगा ।
5. बैलून फेस्टीवल के दौरान आपस में कम्यूनिकेशन हेतु वाकी टॉकी रखना होगी जो चालक और चेजिग क्रू के बीच संवााद स्थापित करेगा ।
6. ऑपरेटर को बैलून फेस्टीवल की पूर्ण रुपरेखा (Line of action) लिखित में निविदा के साथ देना होगा एवं 7 दिवस (28/10/2020) पूर्व बैलून फेस्टीवल में आवश्यक प्रबंध जो BTPC से आपेक्षित है बताना होगा । ऑपरेटर को समस्त अनुमती पूर्व में ही प्राप्त कर सूचित करना होगी ।
7. **बैलून फेस्टिवल के दौरान 15 फ्री फ्लाइंग करना अनिवार्य होगी, जो की समूह 'अ' से प्रथक होंगी, फ्लाइंग न होने कि दशा में अगले दिन कि जाएगी अथवा प्रति फ्लाइंग 10 हजार पेनाल्टी लगायी जाएगी । प्रथम दिवस 12 में से 07 बैलून फ्री फ्लाइंग तथा शेष से टी-थर्ड फ्लाइंग की जाएगी नाईट ग्लो के दिन समस्त बैलून शामिल होंगे ।**
8. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की प्रस्तावित राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी। यात्री का बीमा ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी।
9. समस्त तकनिकी अनुमति एजेंसी को स्वयं ही प्राप्त करनी होगी ।
10. आयोजन स्थल एवं टेंट स्टेज इत्यादि बी.टी.पी.सी. द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा ,पर नाईट ग्लो में म्यूजिक ,लाइट एंड साउंड का प्रबंध एजेंसी को करना होगा ।
11. फेस्टिवल में शामिल हो रहे बैलून के VTR न. सहित फिटनेस प्रमाण पत्र बिड में देना होंगे ।
12. किसी भी परिस्तिथि में एजेंसी की कोई शर्त स्वीकार नहीं होगी ,फिर भी अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा
13. दरें अनुकूल न होने पर नेगोशियेट करने का अधिकारी संस्था के पास सुरक्षित होगा।

बैलून फेस्टिवल हेतु वित्तीय प्रस्ताव

स.क्र.	विवरण	दर प्रति घंटा समस्त करो सहित	रिमार्क
1	बैलून फेस्टिवल (न्यूनतम 10-12 बैलून के साथ 04 स्पेशल शेप तीन दिन) समस्त करो सहित		
2	बैलून फेस्टिवल (न्यूनतम 10 अधिकतम 12 बैलून के साथ 04 स्पेशल शेप तीन दिन) समस्त करो सहित		
3	बैलून फेस्टिवल में न्यूनतम बैलून के बाद अतिरिक्त बैलून कि दर प्रति बैलून समस्त करो सहित		
4	बैलून फेस्टिवल में न्यूनतम बैलून के बाद अतिरिक्त स्पेशल शेप बैलून कि दर प्रति बैलून । समस्त करो सहित		

हस्ताक्षर एवं सील
आवेदक संस्था/प्राधिकारी